न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 07 / 2025	2025 /	13.05.2025	16.07.2025

1–ऐटी गंधोक पत्नि कावलजीत सिंह गंधोक जाति सिख निवासी एफ–17 ब्लॉक–एफ राजौरी गार्डन, राजौरी मार्केट दिल्ली।

2–कावलजीत सिंह गंधोक पुत्र अमोलकसिंह जाति सिख निवासी एफ–17 ब्लॉक–एफ राजौरी गार्डन, राजौरी मार्केट दिल्ली।

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार खैरथल निर्णय दिनाक 31.07.2024 नामान्तकरण संख्या 4420 वाके ग्राम ईस्माईलपुर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री अब्दुल कलाम –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार खैरथल के नामान्तकरण संख्या 4420 निर्णय 31.07.2024 वाके ग्राम ईस्माईलपुर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 1617/0.6300 है0 में से 381683/630000 भाग, 1622/0.3500 है0 में से 5967/50000 भाग, 1623/0.4400 है0 में से 9063/17600 हिस्सा, 1619/0.2400 है0 में से 8599/9600 हिस्सा, 1620/0.2800 है0 में से 250683/280000 हिस्सा, 1621/0.2300 है0 सालिम वाके ग्राम ईस्माईलपुर तहसील खैरथल में स्थित है। आराजी वीनादेवी पत्नि दिनेश कुमार जाति महाजन निवासी मकान न0 828/39 हुडा डिसपेसरी के पास केनकोन एन्कलेव सैक्टर 4 गुडगांव हरियाणा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिससे उपरोक्त आराजी मिन अपीलान्टान द्वारा जरिये रजिस्र्टड बयनामा खरीद की गयी है। जो बयनामा दिनाक 31.07.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 41 में पृष्ठ संख्या 138 क्रंम संख्या 202403362100847 पर पंजिबद्व हुआ है। बयनामा के आधार पर ऑटोसुमो नामान्तकरण संख्या 4420 दिनाक 31.07.2024 को दर्ज हुआ है, नामान्तकरण बयनामा में दर्ज हिस्से अनुसार दर्ज नही हुआ है। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी जरिये बयनामा आराजी खसरा न0 1617/0.6300 है0 में से 381683/630000 भाग, 1622/0.3500 है0 में से 5967/50000 भाग, 1623/0.4400 है0 में से 9063/17600 हिस्सा, 1619/0.2400 है0 में से 8599/9600 हिस्सा, 1620/0.2800 है0 में से 250683/280000 हिस्सा, 1621/0.2300 है0 सालिम वाके ग्राम ईस्माईलपुर तहसील खैरथल खरीद की गयी है, जबकि स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 4420 में मिन अपीलान्टान के नाम खसरा न0 1919/0.2400 है0 में से 8599/9600 है0 का अंकन दर्ज किया गया है, परन्तु शेष भूमि में गलती से खसरा न0 1617/0.6300 है0, 1622/0.3500 है0, 1623/0.44 है0 कुल किता 3 रकबा 1.4200 है0 में से 649997/1420000 हिस्सा एवं आराजी खसरा न0 1620/0.2800 है0, 1621/0.23 है0 किता 2 रकबा 0.5100 है0 में से 480683/510000 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो काबिल दुरूस्ती है। स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण बयनामा के आधार पर दर्ज हिस्सा अनुसार दर्ज नही हुआ है, जिस कारण उक्त नामान्तकरण काबिल दुरूस्ती है। जिसे दुरूस्त किया जाकर बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण दर्ज करते समय सावधानी नही बरती गयी तथा गलत रूप से

नामान्तकरण दर्ज किया गया है। नामान्तकरण बयनामा के आधार पर दर्ज नही हुआ है, मुताबिक बयनामा के नामान्तकरण दर्ज कराया जाना न्यायसंगत है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.02.2025 को होने पर तहत अदालत से नामान्तकरण शुद्व करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनाक 11.02.2025 को अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा के समक्ष पेश किया गया, जिस पर तहत अदालत तहसीलदार खैरथल द्वारा नामान्तकरण शुद्व करने का आश्वासन देते रहे मिन अपीलान्टान विश्वास में रहे कि नामान्तकरण शुद्व हो गया होगा। दिनाक 02.05.2025 को पटवारी हल्का से अपीलान्टान मिला तो पता चला कि नामान्तरण संख्या 4420 तहसीलदार द्वारा दुरूस्त नही किया गया, जिसके बाद मिन अपीलान्टान तहसीलदार खैरथल से मिले तो दिनाक 02.05.2025 को आदेश लाने बाबत कहा गया। जिस पर मिन अपीलान्टान द्वारा बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 4420 निर्णय दिनांक 31.07.2024 वाके ग्राम ईस्माईलपुर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व दिनाक 09.05.2025 पेश की गयी है, जो करीब 9 माह 8 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 31.07.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.02.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी वीनादेवी पत्नि दिनेश कुमार जाति महाजन निवासी मकान न0 828/39 हुडा डिसपेसरी के पास केनकोन एन्कलेव सैक्टर 4 गुडगांव हरियाणा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिससे मिन अपीलान्टान द्वारा जरिये रजिर्स्टड बयनामा खरीद की गयी है, बयनामा दिनाक 31.07.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 41 में पृष्ठ संख्या 138 क्रंम संख्या 202403362100847 पर पंजिबद्व हुआ है। बयनामा के आधार पर ऑटोसुमो नामान्तकरण संख्या 4420 दिनाक 31.07.2024 को दर्ज हुआ है, तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण बयनामा में दर्ज हिस्से अनुसार दर्ज नही हुआ है, जबकि निमयानुसार मुताबिक बयनामा में अंकित हिस्से के अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार खैरथल द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 31.07.2024 नामान्तकरण संख्या 4420 ग्राम इस्माईलपुर तहसील खैरथल निरस्त जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत तहसीलदार खैरथल को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात/अपीलान्ट के पक्ष में लिखे गये बयनामा में वर्णित खसरा नम्बरान/रकबे की पुनः जाच करे। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्वत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से क्रंम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)